सेवामें
इन्चार्ज थाना जी. आर. पी.
दुर्ग म. प्र.

विषय:- मैं दिनेश बलोनी पुत्र श्री जोगेश्वर प्रसाद बलोनी - गोरखपुर म. प्र. मां. इन्जीनियरिंग कालेज से दुर्ग भिलाई में शंकर गुहा नियोगी हत्याकाण्ड में गवाह के पकड़ने पर आमन्त्रित हुआ था। 31-1-96 को मेरी पेशी हुई थी। दिनांक 1-2-96 को मैं और श्री रामाविहारी सिंह दुर्ग स्टेशन आये हमने दुर्ग से बनारस का टिकट लिया और उसके बाद स्टेशन पर बैठकर सारनाथ गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। इसी टाइम लगभग 9 साढ़े 9 बजे थे। मैंने दुर्ग कोर्ट में जब दिनांक 31-1-96 को शंकर गुहा नियोगी हत्याकाण्ड के प्रकरण पर गवाही दे रहा था तो वहाँ जो लोग थे, फिर कुछ [illegible] देख रहे थे। उनमें से आज एक आदमी को पहला गेट स्टेशन पर घूमते देखा तो मैंने अपने साथी रामाविहारी सिंह को कहा कि यह वही आदमी है जो कोर्ट में बड़े गुस्से में [illegible] आ रहा था। तो हम तुरन्त वहाँ से सारनाथ को छोड़कर महानगरी ट्रेन में जा बैठे और घबराकर अपनी सीटों के ओर गये। फिर भी कुछ सन्तोष नहीं हुआ मैंने अपने साथी रामाविहारी से कहा मैं जरा दरवाजे से देखता हूं, मैं बाहर झांक ही रहा था तब तक वही आदमी जिसे मैंने देखा था और उसके साथ चार पांच आदमी काफी तेज चलते हुए मुझे देखे और कहके कि यही है दिनेश बलोनी पकड़ो साले को। मैंने जैसे ही सुना मैं तुरन्त पीछे के दरवाजे से बाहर भागा वे भी भागे पर मैं इतनी तेज भागा कि [illegible] हमला करने में वे [illegible] सफल नहीं हुए

और मैं भागते भागते स्टेशन के पास की तरफ से डाक
चौकी मे गया मैंने यही सब बातें उनको बतायी जो वहां पर खड़े
थे फिर मैंने कहा मुझे साहब यहां से किसी भी तरह मिलाई होटल में
भिजवा दीजिये या फोन कर दीजिये तो उन्होंने कहा कि फोन तो खराब
है और ड्राइवर भी चला गया है। तब मैंने उनसे पूछा कि स्टेशन के
अलावा टैक्सी और कहां मिलेगी तो उन्होंने सीधे आगे गोल चौक की
ओर इशारा किया जो चौकी से थोड़ा ही आगे है तो मैं दौड़ते हुए
जल्दी-जल्दी चौक के पहले ही पहुंचा तो मुझे एक रिक्सा मिल
गया मैंने उससे पूछा कि मुझे स्टेशन के अलावा जहां और कहीं टैक्सी
मिलता है वहां छोड़ दे उसने 6 रु मांगा-चाहा मैंने कहा जल्दी-
चलो फिर मैं जैसे ही गोल चक्कर पार कर रहा था वहां एक
तेज सा मुझे दिखा, होटल पार करते ही तेज आवाज आयी
कि यह तो जा रहा है साला पकड़ो रिक्शे वाले को मैंने पूछा
कि यह तो जा रहा है साला पकड़ो रिक्शे साले को मैंने कुछ नहीं
ही सुना और देखा सात आठ आदमियों से कुछ नहीं
अभि मुझे चन्द्रकान्त शाह ही दिखाई दिया, मुझे शान
मिश्रा पर भी शक है तो मैंने देखा उनकी मोटर साइकिल
स्टार्ट होने लगी तब तक मैं थोड़ा दूर निकल कर रिक्शा
से कूदकर सड़क की दायीं ओर गली टाइप में दौड़ गया
और पीछे मुड़ देखा तो मोटर साइकिल एक साथ छोड़ती देखी
उसके बाद मैं वही गली में तमाम मकानों में इधर-उधर शरण लेने की
कोशिश की पर कहीं सफलता नहीं मिली मोटर साइकिल में गाड़ी
से भी दूर दूर होने के बाद मुझे एक टीन की लगी हुई थी. मैं अन्त
में एक मकान का जोर से दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला मैं
उनके अन्दर गया और उनसे ये ऊपर लिखी कुछ बात बतायी,
मैंने कहा आप मुझे यहीं रहने दीजिये उन्होंने कहा पास ही में थाना
है उस गांव का नाम मोहन नगर है मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे
वहां तक छोड़ दीजिये उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे अपने लड़के
के स्कूटर से बैठाकर थाने भेज दिया थाने में गया सारी बात
बतायी तब उन्होंने मुझे पुलिस की गाड़ी से मिलाई होटल भेज

कि ... 31.1.96 को भरी अदालत में माननीय टी.के. झा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश — चन्द्रकान्त साह, नवीन साह मूलचन्द शाह, बलवन्त [illegible] शाह, ज्ञान प्रकाश [illegible] के विरुद्ध अपने बयान लेखबद्ध करवाये थे और माननीय न्यायाधीश को भरी अदालत में यह बताया था कि श्री नियोगी की हत्या उपरोक्त लोगों ने मिलकर करी है और हत्या में प्रयोग किया गया हथियार और गाड़ी की शिनाख्त की थी [illegible] यह सभी लोग मुझसे नाराज थे। इसी लिये चन्द्रकान्त शाह व उसके साथी दो आदमी जिनमें से एक को सामने आने पर निश्चित रूप से पहचान सकता हूँ न मुझे पर गवाही देने के कारण मुझ पर [illegible] सकता है वह घातक हमला करने का प्रयास कर रहे थे।

आप से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामले के [illegible] के एफ. आई. आर. दर्ज की जाय, व अन्य के विरुद्ध भी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में गवाह निडर होकर मामलों में गवाही देने की हिम्मत जुटा पायें।

दुर्ग से बनारस का
रेलवे टिकिट नं० 53556 -
1-2-96

प्रार्थी
दिनेश बलोनी
1.2.96

दिनेश बलोनी S/O श्री
[illegible] प्रसाद बलोनी
[illegible] इन्द्रा कालोनी
[illegible]

[illegible]

[illegible] 96 [illegible]